न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:– 34 / 15

1. रामस्वरूप पुत्र श्री रामधन
2. लखन पुत्र श्री करनसिंह
3. मोती पुत्र श्री करनसिंह
4. रामपति पत्नि श्री करनसिंह
5. द्रो पुत्री श्री करनसिंह

सभी जाति गूजर, निवासी खूटखेडा तहसील बयाना, जिला भरतपुर राजस्थान।

.....वादीगण

बनाम

1. श्रीमति चन्दन पुत्री ग्यारसी माता, पुत्री सरमन
2. श्रीमति बादामी पुत्री ग्यारसी माता, पुत्री सरमन
3. श्रीमति सरवती पुत्री ग्यारसी माता, पुत्री सरमन

सभी जाति जाटव, निवासी खूटखेडा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर राजस्थान।

.....प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट।

दिनांकः– 05/01/25

निर्णय

उपस्थितिः– श्री महेन्द्र भूषण शर्मा एड0 वादीगण

वादीगण द्वारा यह दावा डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1286 रकवा 0.12, 1287 रकवा 0.11, 1288 रकवा 0.27, 1289 रकवा 0.01, 1290 रकवा 0.30, 1291 रकवा 0.30, 1292 रकवा 0.14, 1293 रकवा 0.12, 1294 रकवा 0.14 हैक्ट. कुल किता 9 कुल रकवा 1.51 हैक्ट जिसकी पुरानी खतौनी संख्या 31 व नई खतौनी संख्या 36 वाके ग्राम खूटखेडा तहसील बयाना में स्थित है। यह आराजी हमारे पूर्वजों की विरासत की खातेदारी व काश्तकारी की आराजी है। जिस पर हम वादीगण 100 वर्षो से भी अधिक समय से खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है, तथा अपनी इस आराजी में रिहायश मकानात बनाकर व ट्यूववेल व बिजली लगाकर काबिज है। राज लगान भी आराजी का हम वादीगण ही अदा कर रहे है। प्रतिवादीगण का आराजी से किसी भी प्रकार का कभी भी कोई सरोकार व वास्ता नहीं रहा है और ना ही कभी भी कोई भी कब्जा ही रहा है। साविक आराजी खसरा नम्बर 574 रकवा 7 बीघा 19 विस्वा कि जिसके नवीन आराजी खसरा नम्बरान 1286 रकवा 0.12, 1287 रकवा 0.11, 1288 रकवा 0.27, 1289 रकवा 0.01, 1290 रकवा 0.30, 1291 रकवा 0.30, 1292 रकवा 0.14, 1293 रकवा 0.12, 1294 रकवा 0.14 हैक्ट. वाके ग्राम खूटखेडा तहसील बयाना के बन्दोवस्त विभाग ने नये नम्बरान सृजित किये है। वादीगण ने अपने वादपत्र में सजरा पेश किया है। सहवन रेवेन्यू कर्मचारियों की गलती से खातेदारी का इन्द्राज ग्यारसी वेवा सरमन जाति जाटव निवासी खूटखेडा के नाम हो गया है, तथा अब ग्यारसी वेवा सरमन जाति जाटव निवासी खूटखेडा तहसील बयाना का स्वर्गवास हो गया है। ग्यारसी की तीन पुत्रियां चन्दन, बादामी व सरवती जो प्रतिवादिनी मुकदमा है। चूंकि ग्यारसी की मृत्यु हो गई है, इसलिये उसके स्थान पर दाखिल खारिज आराजी का उसकी पुत्रियां कराने पर उतारू है। जबकि आराजी से उनका किसी भी प्रकारा का कोई संबंध व वास्ता नहीं है। विरासत का दाखिल खारिज करवाने के लिए इन प्रतिवादीगण ने तहसील बयाना में प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है, तथा प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद ये आराजी को विक्रय करने पर उतारू हो रही है, तथा प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद ये आराजी को विक्रय करने पर उतारू हो रही है, तथा प्रतिवादीगण ने यह धमकी दी है कि वे हम वादीगण को आराजी से बेदखल कर देंगी व आराजी

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

को दीगर व्यक्तियों को बेचान कर देंगी व आराजी को खुर्द–बुर्द व बरबाद कर देंगी, तथा फरीकेन में अन्य मुकदमा बाजी बढ जावेगी। यही वजह हम वादीगण को आराजी से बेदखल कर देंगी व आराजी को खुर्द–बुर्द व बरबाद कर देंगी, तथा फरीकेन में अन्य मुकदमाबाजी बढ जावेगी। यही वजह हम वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद दायर करना आवश्यक हो गया है। दिनांक 20.03.2015 को व योग प्रार्थना पत्र तहसील बयाना में दाखिल खारिज व आराजी से बेदखल करने की धमकी देने पर पैदा हुई है। अन्त में दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि यह घोषित फरमाया जावे कि वादीगण वादग्रस्त आराजी मुतजिकरे अर्जी दावा के खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है, तथा इस घोषणा के आधार पर कागजात पटवार में दाखिल खारिज का इन्द्राज वादीगण के पक्ष में दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी के कब्जे काश्त वादीगण में किसी भी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न करें बेजा नहीं करें ना ही ऐसा कोई कार्य करे कि जिससे वादीगण को आराजी के उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार की रूकावट पैदा हो और ना ही दाखिल खारिज अपने नाम दर्ज व तस्दीक करवाऐं।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री यादराम शर्मा एड0 जरिये वकालतनामा दिनांक 06.11.2015 को उपस्थित आए। प्रतिवादीगण ने अपना जबाव दावा दिनांक 15.03.2016 को पेश कर दावा की अधिकाश मदों को अस्वीकर करते हुये अंकित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1286 रकवा 0.12, 1287 रकवा 0.11, 1288 रकवा 0.27, 1289 रकवा 0.01, 1290 रकवा 0.30, 1291 रकवा 0.30, 1292 रकवा 0.14, 1293 रकवा 0.12, 1294 रकवा 0.14 हैक्ट. कुल किता 9 कुल रकवा 1.51 हैक्ट वाके ग्राम खूटखेडा तहसील बयाना में स्थित है जिसकी खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी ग्यारसी वेवा सरमन राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी अपने जीवनकाल में ग्यारसी ही वहैसियत खातेदार काश्तकार उपरोक्त आराजी पर काबिज रही। उकसी मृत्यु के बाद वादीगण ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है केवल कब्जें के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। वाद वादीगण खारिज योग्य है। वादीगण ने अपने वाद में यह दर्शित नहीं किया है कि उनके कौनसे पूर्वज के नाम खातेदारी का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में कब रहा है। यह भूमि हमेशा से प्रतिवादिनीगण के पूर्वजों पिता सरमन तथा उसके बाद विरासतन ग्यारसी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है तथा आज भी खातेदारी का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे हम प्रतिवादिनीगण की माता ग्यारसी वेवा सरमन कौम चमार के नाम दर्ज है। जो अनुसूचित जाति के सदस्य है वादीगण कानूनन भी खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं किये जा सकते है। वादीगण ने अपने वाद मे हम प्रतिवादीगण को ग्यारसी की पुत्री होना स्वीकार किया है। इस सूरत में भीह म प्रतिवादिनीगण ग्यारसी के स्थान पर अपने नाम दाखिल खारिज दर्ज कर तस्दीक कराने की अधिकारणी है। वादीगण क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुये है उनके वैटर एण्ड फादर पर्टिक्यूलस प्रस्तुत कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादीगण ने यह वाद बिलकुल असत्य मनगढन्त तथ्यों के आधार पर हम प्रतिवादिनीगण को तंग व परेशान करने के उदेश्य से प्रस्तुत किया है। दावा वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 20.12.2021 से प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। आदेशिका दिनांक 20.12.2021 से वादीगण द्वारा संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत करने की अनुमती दी गई। आदेशिका दिनांक 11.04.2019 द्वारा दावा, जबाव दावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार हैः–

1. आया वाद पत्र की खण्ड संख्या 1 में वर्णित आराजी पर वादीगण 100 वर्षो से अधिक समय से खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है।
2. आया वादपत्र की खण्ड संख्या 3 में वर्णित प्रतिवादीगण ने वादीगण को दिनांक 20.03.2015 को धमकी दी है।
3. आया उत्तरवाद के खण्ड 6 अनुसार वाद–वादीगण खारिज योग्य है।
4. आया उत्तरवाद के खण्ड 7 अनुसार वादीगण का दावा पोषणीय नहीं है।

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.

5. आया उत्तरवाद के खण्ड संख्या 2 अनुसार वाद–वादीगण खारिज योग्य है।

6. दाखरसी दस्तावेजी साक्ष्य में वादी में वादीगण द्वारा प्रदर्श 1 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 गांव खूटखेडा, प्रदर्श 2 भूप्रबन्ध विभाग जमाबन्दी खातौनी सम्वत 2051–2070, जमाबन्दी सम्वत 2069–72, प्रदर्श 3, प्रदर्श 4 खेवट खातौनी सम्वत 1988 ग्राम खूटखेडा, प्रदर्श 5 खेवट खातौनी सम्वत 1988 ग्राम खूटखेडा, प्रदर्श 6 खेवट खातौनी सम्वत 1988 ग्राम खूटखेडा, प्रदर्श 7 खेवट खातौनी सम्वत 1988 ग्राम खूटखेडा, प्रदर्श 8 खेवट खातौनी सम्वत 1988 ग्राम खूटखेडा, प्रदर्श 9 खेवट खातौनी सम्वत 1988 ग्राम खूटखेडा, प्रदर्श 10 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 11 खसरा गिरदावरी चौसाला सम्वत 2029–32, प्रदर्श 11 खसरा गिरदावरी चौसाला सम्वत 2028–32, मौखिक साक्ष्य में PW 1 लखन पुत्र करनसिंह जाति गुर्जर निवासी लक्खी का नगला मजरा खूटखेडा, PW 2 महेन्द्र सिंह पुत्र चरनसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम खूटखेडा, PW 3 शिवसिंह पुत्र बृजलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खूटखेडा, ने अपने शपथ पत्र पेश किये।

हमने विद्वान अभिभाषक एड0 वादी को एकपक्षीय सुना। विद्वान अभिभाषक एड0 वादी ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये वर्णन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1286 रकवा 0.12, 1287 रकवा 0.11, 1288 रकवा 0.27, 1289 रकवा 0.01, 1290 रकवा 0.30, 1291 रकवा 0.30, 1292 रकवा 0.14, 1293 रकवा 0.12, 1294 रकवा 0.14 हैक्ट. कुल किता 9 कुल रकवा 1.51 हैक्ट वाके ग्राम खूटखेडा तहसील बयाना में स्थित है। विवादित आराजी वादीगण के पूर्वजों की विरासत की आराजी है। वादीगण 100 वर्षो से विवादित आराजी के खातेदार, काश्तकार काबिज है। हमारा मकान, रिहायश बनी हुई है, प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर कभी सम्बन्ध सरोकार वास्ता नहीं है। विवादित आराजी साविक खसरा नम्बर 574 रकवा 7 बीघा 19 विस्वा से बनाई गई है। राजस्व कर्मचारियों की भूल से आराजी मुतनाजा ग्यारसी वेवा सरमन जाति जाटव निवासी खूटखेडा के नाम हो गई है, ग्यारसी फौत हो चुकी है। ग्यारसी की 3 पुत्रिया प्रतिवादीगण है। आराजी का विरासत का नामान्तकरण करने को प्रतिवादीगण उतारू है। नामान्तकरण दर्ज होने पर विवादित आराजी विक्रय करने पर अमादा है। वादीगण के पूर्वजों ने सम्वत 1988 की जमाबन्दी में मालिक के रूप में दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 1996 में किशोरी व घमण्डी पिसरान गंगाधर के नाम दर्ज है। सम्वत 2012 में विवादित आराजी वादीगण के पूर्वज गैर मैरोसी के रूप में दर्ज है। जमाबन्दी 2029–32 खातेदार ग्यारसी काश्त रामधन नाम मालिक हरहेत बगैरा मजकूर दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2008 में मंगल बल्द भानू चमार मालिक हरहेत मजकूर जिसमें रामधन, मुरली, करन पिसरान धुन्धी आदि है खुदकाश्त में दर्ज है। विवादित आराजी में वादीगण के पूर्वजों का एवं अब वादीगण स्वंय का बदस्तूर 100 वर्षो से लगातार कब्जाकाश्त, चली आ रही है। प्रतिवादीगण के पूर्वजों अथवा वादीगण का कभी भी आाराजी मुतनाजा में कब्जाकाश्त नहीं है। आराजी मुतनाजा वादीगण के पूर्वजों के नाम की जगह प्रतिवादीगण के नाम सहवन वश राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई है। जिससे वादीगण को सख्त हकतलफी है। वाद–वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक एड0 वादीगण को एकपक्षीय सुनने के उपरान्त तनकीबार विवेचन निम्नानुसार हैः–

तनकी नम्बर 1:– आया वाद पत्र की खण्ड संख्या 1 में वर्णित आराजी पर वादीगण 100 वर्षो से अधिक समय से खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है।–––
इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण का है। प्रदर्श 10 मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 1286 रकवा 0.12, 1287 रकवा 0.11, 1288 रकवा 0.27, 1289 रकवा 0.01, 1290 रकवा 0.30, 1291 रकवा 0.30, 1292 रकवा 0.14, 1293 रकवा 0.12, 1294 रकवा 0.14 हैक्ट. पुराने खसरा नम्बर 574 से बनाये गये है। प्रदर्श 1 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में विवादित आराजी ग्यारती वेवा सरमन के नाम दर्ज है।

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.

इस प्रकार प्रदर्श 2 (जमाबन्दी सम्वत 2051–70) प्रदर्श 3 जमाबन्दी 2069–72 में भी आराजी मुतनाजा ग्यारसी बेवा सरमन के नाम दर्ज अभिलेख है। प्रदर्श 8 जमाबन्दी सम्वत 1988 में पुराने खसरा नम्बर 574 का अंकन खुदकाश्त रामधन के नाम दर्ज है। प्रदर्श 11 खसरा गिरदावरी सम्वत 2028–32 के कॉलम संख्या 4 में मु0 ग्यारसी बेवा सरमन कौम चमार सा.देह खातेदार व काश्त रामधन व करन पिसरान धुन्धी कौम गूजर व.हि. बराबर दर्ज रिकार्ड है। गिरदावारी सम्वत 2029–32 में खसरा नम्बर 574 (पुराना) के कॉलम संख्या 6 में रतन वल्द डोडी कौम गूजर सा.देह खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी 1995 में खसरा नम्बर 574 में किशोरी, घमण्डी, पिसरान गंगाधर वहिस्सा बराबर साकिन अड्डा गैर मौरोसी दर्ज है। इसी प्रकार जमाबन्दी 1996 में खसरा नम्बर 574 के कॉलम संख्या 5 में किशोरी, घमण्डी, पिसरान गंगाधर वहिस्सा बराबर साकिन अड्डा गैर मौरोसी दर्ज है। पत्रावली में संलग्न नामान्तकरण संख्या 379 में पुराने खसरा नम्बर 574, 575 के कॉलम संख्या 5 में मु. ग्यारसी बेवा सरमन कौम चमार सा. देह खातेदार व काश्त करन पुत्र धुंधी 1/2 बाकी बदस्तूर 1/2 कौम गूजर सा. देह दर्ज रिकार्ड है। साथ ही कॉलम संख्या 11 में मु. ग्यारसी बेवा सरमन कौम जाटव सा. देह खातेदार काश्तकार अतर, लखन, मोती पिसरान करन 1/2 कौम गूजर बाकी बदस्तूर 1/2 सा. देह शिकमी दर्ज है। साथ ही उक्त नामान्तकरण में करन गूजर शिकमी फौत हो गया है। मु0 ग्यारसी चमार खातेदार है। टीनैन्सी एक्ट की धारा 175 के तहत तहसीलदार को रिपोर्ट ली जावे का अंकन है। PW 1 लखन पुत्र करनसिंह जाति गुर्जर निवासी लक्खी का नगला मजरा खूटखेडा ने अपने शपथ पत्र में यह कलमबद्व कराया है कि विवादित आराजी वादीगण को उनके पूर्वजों से विरासत से प्राप्त हुई है। हम वादीगण सैकडों वर्षो से विवादित आराजी के खातेदार, काश्तकार काबिज आराजी है। विवादित आराजी के कुछ क्षेत्र में हमारे रिहायश मकान बना रखे है। 2 ट्यूबवैल लगा रखा है। जिसके बिजली कनेक्शन लगा हुआ है। राजलगान हम वादीगण अदा कर रहे है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजीयात से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी दी है। PW 2 महेन्द्र सिंह, PW 3 शिवसिंह ने भी अपने शपथ पत्रों में विवादित आराजी वादीगण व पूर्वज काश्त करने चले आ रहे है। राजलगान वादीगण अदा करते चले आ रहे है। विवादित आराजी के कुछ हिस्से में मकान बनाकर वादीगण निवास करते है। सिचाई के लिए ट्यूबवैल लगा हुआ है। बिजली कनैक्शन हो रहा है। प्रतिवादीगण को विवादित आराजी पर काश्त करते नहीं देखा है।

प्रदर्श 4, 5, 6 में सन् 1988 की जमाबंदियों में कॉलम (नाम मालिक व अहवाल) में खसरा नम्बर 575 रकवा 1 बीघा 12 विस्वा में रामधन, मुरली, व करन पिसरान धुन्धी तथा अन्य लिखा हुआ है, तथा कॉलम 5 (नाम काश्तकार व अहवाल) में मकबूजा काश्त लिखा हुआ है। प्रदर्श 7 में सन् 1988 खसरा नम्बर 574 में मालिक के कॉलम के स्थान पर महवार मजकूर तथा काश्तकार में रामधन बगैराह लिखा हुआ है। जमाबन्दी सम्वत 1995 में खसरा नम्बर 575, 574 में मालिक के स्थान पर अन्य व्यक्तियों के साथ रामधन, मुरली व करन पिसरान धुन्धी कौम गुर्जर तथा काश्तकार में किशोरी व धमण्डी पिसरान गंगाधर कौम गुर्जर हिस्सा बराबर गैर मौरोसी लिखा हुआ है। इसी प्रकार सम्वत 1996 में भी सम्वत 1995 में मालिक व काश्तकार लिखे हुए है। सम्वत

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.

2008 में मालिक के स्थान पर हरहेत वगैराह मजकूर जिसमें रामधन व मुरली व करन पिसरान धुन्धी कोम गुर्जर शामिल है का नाम लिखा हुआ है। जबकि खसरा नम्बर 575 में काश्त में मंगल वल्द भानू कोम लमार गैर मोरोसी व खसरा नम्बर 575 में खुदकाश्त हरभान व लक्खी बहिरसा बराबर लिखा हुआ है। अतः उक्त जमाबंदियों से स्पष्ट है कि उक्त खसरों में मालिक वादीगणों के पूर्वज थे जिनके द्वारा भूमि कभी खुदकाश्त तथा कभी अन्य व्यक्तियों को काश्त पर दी गई थी। सम्वत 2012 के बाद की जमाबंदियों में भी खातेदार में ग्यारसी वेवा सरमन के नाम होने पर भी काश्त वादीगणो के पूर्वजों की ही रही है। अतः इससे स्पष्ट है कि खातेदार में ग्यारसी वेवा सरमन का नाम लिपिकीय त्रुटि से ही आया है। अतः उक्त भूमि का सम्वत 2012 से पूर्व मालिक वादीगणों के पूर्वज होने के कारण वर्तमान रिकार्ड में वादीगण का नाम खातेदार के स्थान पर कराये जाने के अधिकारी है।

बहस विद्वान अभिभाषक वादी, दस्तावेजी साक्ष्य वादी के प्रस्तुत प्रदर्श 08, प्रदर्श 11, जमाबन्दी 2029–32, जमाबन्दी 1995, जमाबन्दी 1996, नामान्तकरण संख्या 379 गवाह PW 1, PW 2, PW 3 अनुसार विवादित आराजी वादीगण के पूर्वजों के समय से ही बदस्तूर कब्जा काश्त में रही है। प्रतिवादीगण अथवा उनकी माता ग्यारसी का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जाकाश्त होना नहीं पाया जाता है। पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी 12.08.2015 (प्रमाणित) अनुसार ग्यारसी बेवा सरमन कौम जाटव बहुत समय पूर्व से ही ग्राम में नही रहती है। जब से ग्राम से गई है तब से आयी नहीं है, एवं उक्त खसरा नम्बर पर कभी काश्त नहीं की है। उक्त भूमि पर पूर्व से ही लखन, मोती पिसरान करन व रामस्वरूप पुत्र रामधन कौम गूजर सा. खूटखेडा का कब्जा है। साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं होने पर दावे के किसी भाग का खण्डन नहीं हुआ है। अतः यह तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2:– आया वादपत्र की खण्ड संख्या 3 में वर्णित प्रतिवादीगण ने वादीगण को दिनांक 20.03.2015 को धमकी दी है।–––– तनकी नम्बर 1 वादीगण के पक्ष में तय हो चुकी है अतः यह तनकी भी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नम्बर 3:– आया उत्तरवाद के खण्ड 6 अनुसार वाद–वादीगण खारिज योग्य है।––––इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार के दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किए है। जिस कारण यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 4:– आया उत्तरवाद के खण्ड 7 अनुसार वादीगण का दावा पोषणीय नहीं है।–––इस तनकी को सिद्व करने का भार भी प्रतिवादीगण का ही है। प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार के दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किए है। अतः यह तनकी भी विरूद्व प्रतिवादीगण बहक वादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 5:– आया उत्तरवाद के खण्ड संख्या 2 अनुसार वाद–वादीगण खारिज योग्य है।–––इस तनकी को सिद्व करने का भार भी प्रतिवादीगण का ही है। प्रतिवादीगण द्वारा दावा में किसी प्रकार की पैरवी नहीं की है। इससे यह सिद्व होता है कि प्रतिवादीगण का विवादित आराजी में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रकरण में किसी प्रकार के साक्ष्य पेश नहीं होने से यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण बहक वादीगण तय की जाती है।

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.

चूंकि तनकी नम्बर 01 लगायत 05 वादी के पक्ष में तय की जा चुकी है। अतः वाद वादीगण डिक्री योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादीगण एकपक्षीय डिक्री किया जाता है। वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 1286 रकवा 0.12, 1287 रकवा 0.11, 1288 रकवा 0.27, 1289 रकवा 0.01, 1290 रकवा 0.30, 1291 रकवा 0.30, 1292 रकवा 0.14, 1293 रकवा 0.12, 1294 रकवा 0.14 हैक्ट. कुल किता 9 कुल रकवा 1.51 हैक्ट वाके ग्राम खूटखेडा तहसील बयाना का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण के नाम हो रहे उक्त खातेदारी को कलमजन करें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/01/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.

न्यायालय उप जिला कलक्टर बयाना (भरतपुर)